

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

वित्त भवन" जनपथ, जयपुर 302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4(ई)(एम-2849 / 2013) / अलेसे-III / 1254

दिनांक:- 19/10/22

कार्यालय आदेश

श्री मंगतू राम रैबारी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय तहसीलदार, मालाखेड़ा, अलवर को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 28.08.2022 के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 28.08.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ4(ई)(एम-2849 / 2013) / अलेसे-III / 1254

दिनांक:- 19/10/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, मालाखेड़ा, अलवर।
2. श्री मंगतू राम रैबारी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय तहसीलदार, मालाखेड़ा, अलवर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)